प्रेस विज्ञप्ति

श्रमायुक्त, छ.ग. शासन द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत् श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।

उक्त अनुक्रम में हिम शिखर गुप्ता, श्रमायुक्त, छ0ग0 शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये दिनांक 01.04.2026 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2025 से दिसम्बर 2025 के मध्य 11.28 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई तदनुसार प्रति बिन्दु 20/- रूपये के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 226/- रूपये की वृद्धि की गई।

कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 34 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5/- रूपये प्रति बिन्दु के मान से 170/- रूपये प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई ।

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 8.53 रूपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई।

उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में वृद्धि उपरांत अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को दिनांक 01.04.2026 से 30.09.2026 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नानुसार देय होगी।

01. 45 अनुसूचित सामान्य नियोजन के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरें :–

क	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	11402.00	439
		ब	11142.00	429
		स	10882.00	419
2	अर्द्धकुशल	अ	12052.00	464
		ब	11792.00	454
		स	11532.00	444
3	कुशल	अ	12832.00	494
		ब	12572.00	484
		स	12312.00	474
4	उच्च कुशल	अ	13612.00	524
		ब	13352.00	514
		स	13092.00	504

उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट www.shramevjayate.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड–तीन, द्वितीय–तल, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) से भी प्राप्त की जा सकती है।

(डी.पी.तिवारी)
उप श्रमायुक्त
कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़